उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या :– 2900 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधो की विवरण :–

प्रजाति का नाम	पौधो की संख्या	पौधो की आयु वर्ष में	पौधो की ऊचाई (से0मी0)	कॉलर गोलाई (से0मी0)
सागौन	800	1 वर्ष	30 से0मी0	2 से0मी0
आंवला	600	1 वर्ष	45 से0मी0	2 से0मी0
करंज	500	1 वर्ष	30 से0मी0	1.5 से0मी0
काला सिरस	500	1 वर्ष	40 से0मी0	1.5 से0मी0
बहेड़ा	500	1 वर्ष	30 से0मी0	1.5 से0मी0
योग	2900			

3. **मृदा एवं जल संरक्षण कार्यः**– क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थानो पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौडे तथा 03 मीटर लम्बाई में कन्टूर ट्रेन्च बनाये जायेगें। आवष्यकता अनुसार उपयुक्त स्थानो पर कन्टूर बाण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालो मे पत्थर से नाला बंधान का निर्माण किया जायेगा। इन कार्यो के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिषत राषि प्रावधानित की गई है।
4. **क्षेत्र की सुरक्षाः**– वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंक फैसिंग तथा आर0सी0सी0 पोल लगाकर की जावेगी।
5. **पुर्नउत्पादन सफाई :**– क्षेत्र मे किये गये ठूंठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिको के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में विरलन कार्य कार्य आयोजना में दिये प्रावधानो के अनुसार किया जायेगा।
6. **सिलरीकल्चर ऑपरेशन :**– क्षेत्र मे प्रथम वर्ष मे लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत छाटवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निदांई का कार्य किया जायेगा। सातवे वर्ष में दो बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निदांई का कार्य किया जायेगा।
7. **रखरखाव :**– रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :**– रोपण के उपरांत प्रति वर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधो की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की पृविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय–समय पर विभिन्न अधिकारियो द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा।

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डलाधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय–समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओ से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थायित्व को प्राप्त कर लेगें।

वन परिक्षेत्राधिकारी